

दिनांक 10-07-2021

पत्रांक 01

प्रेषक,

ग्राम पंचायत सचिव,

पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई

गंगहारा, मानस, इतनपुर-माधोपुर, सरारी

सेवा में,

प्रबंधक NIC पटना

विषय :- पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई

गंगहारा, मानस, इतनपुर-माधोपुर, सरारी

का सामान्य और उर्दू का अंतिम मेधा सूची अनुमोदन हेतु NIC में अपलोड करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, विहार, पटना के पत्रांक 3557 दिनांक 25-07-2021 के निदेशानुसार अंतिम मेधा सूची NIC, PATNA के वेबसाइट पर प्रकाशित ~~किए गए~~ अंतिम मेधा सूची एवं CD ~~EXCEL~~ अनुमोदन और अपेक्षित कार्यवाई हेतु पत्रालय को समर्पित किया जाना है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अंतिम मेधा सूची को NIC पर अपलोड कराने की कृपा करें।

अनुलग्नक :-

अंतिम मेधा सूची का सॉफ्ट कॉपी

1. नियोजन इकाई गंगहारा, मानस, इतनपुर-माधोपुर, सरारी (सामान्य एवं उर्दू)

विश्वासभाजन

पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत

सचिव
ग्राम पंचायत राज गंगहारा
प्रखण्ड-दानापुर

काउंसिलिंग तिथि - 12.07.2021

काउंसिलिंग स्थल - म.वि. रामजीलक, इतनापुर

10/7/2021
12:28 PM

Data received through
Principal Ganga Sector
Head Office also submit.
10/7/2021

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना

प्रेषक:

पत्रांक 3882 /

अमित कुमार,
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पटना

सेवा में,

पंचायत सचिव-सह- सदस्य सचिव,
ग्राम पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, सरारी, दानापुर।

विषय:-

उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक 864 दिनांक 05.07.2019 एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार पटना के ज्ञापांक 975 दिनांक 19.11.2020, पत्रांक 1055 दिनांक 21.12.2020 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 593 दिनांक 23.06.2021 के आलोक में शिक्षक नियोजन 2019 - 20 के क्रम में मेधा सूची के अनुमोदन के संबंध में।

पटना, दिनांक 8/7/2021 /

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभागीय निदेश के आलोक में आपके द्वारा समर्पित मेधा सूची (वर्ग 1 से 5) का अवलोकन किया गया। इसमें प्रथम दृष्टया जो त्रुटि इंगित हुई है, वह निम्नवत् है-

क्र.सं.	त्रुटियों का विवरण	वर्ग 1 से 5	अभ्युक्ति
1	अभ्यर्थी के नाम में अंतर	01	
2	पिता के नाम में अंतर	02	
3	जेन्डर में अंतर	01	
4	जन्म तिथि में अंतर	03	
5	आरक्षण कोटि में अंतर	07	
6	शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंक/ प्रतिशत एवं अधिभार में अंतर	00	

वर्तमान में शिक्षक नियोजन की कार्यवाही संबंधित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्र की जाँच के उपरान्त तैयार किये जाने वाले चयन सूची के आधार पर होनी है।

अतः इस मेधा सूची को अद्योहस्ताक्षरी स्तर से इस शर्त के साथ अनुमोदित किया जाता है कि कॉउंसिलिंग के दौरान मूल प्रमाण-पत्र से मिलान के आधार पर तैयार किये जाने वाले चयन सूची के आधार पर ही नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण की जाय।

विश्वासभाजन

(अमित कुमार)

जिला शिक्षा पदाधिकारी

पटना

05/07/2021

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना

प्रेषक:

पत्रांक 3884 /

अमित कुमार,
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पटना

सेवा में,

पंचायत सचिव-सह- सदस्य सचिव,
ग्राम पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, मानस, दानापुर।

विषय:-

उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक 864 दिनांक 05.07.2019 एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार पटना के ज्ञापांक 975 दिनांक 19.11.2020, पत्रांक 1055 दिनांक 21.12.2020 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 593 दिनांक 23.06.2021 के आलोक में शिक्षक नियोजन 2019 - 20 के क्रम में मेधा सूची के अनुमोदन के संबंध में।

पटना, दिनांक 05/07/2021 /

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभागीय निदेश के आलोक में आपके द्वारा समर्पित मेधा सूची (वर्ग 1 से 5) का अवलोकन किया गया। इसमें प्रथम दृष्टया जो त्रुटि इंगित हुई है, वह निम्नवत् है-

क्र.सं.	त्रुटियों का विवरण	वर्ग 1 से 5	अभ्युक्ति
1	अभ्यर्थी के नाम में अंतर	00	
2	पिता के नाम में अंतर	04	
3	जेन्डर में अंतर	00	
4	जन्म तिथि में अंतर	00	
5	आरक्षण कोटि में अंतर	04	
6	शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंक/ प्रतिशत एवं अधिभार में अंतर	05	

वर्तमान में शिक्षक नियोजन की कार्यवाही संबंधित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्र की जाँच के उपरान्त तैयार किये जाने वाले चयन सूची के आधार पर होनी है।

अतः इस मेधा सूची को अद्योहस्ताक्षरी स्तर से इस शर्त के साथ अनुमोदित किया जाता है कि कौंसिलिंग के दौरान मूल प्रमाण-पत्र से मिलान के आधार पर तैयार किये जाने वाले चयन सूची के आधार पर ही नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण की जाय।

विश्वासभाजन

(अमित कुमार)

जिला शिक्षा पदाधिकारी

पटना, दिनांक 05/07/2021

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना

प्रेषक:

पत्रांक 3887 /

अमित कुमार,
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पटना

सेवा में,

विषय:-

पंचायत सचिव-सह- सदस्य सचिव,
ग्राम पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, हेतनपुर - माधोपुर, दानापुर।

उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक 864 दिनांक 05.07.2019 एवं
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार पटना के ज्ञापांक 975 दिनांक 19.11.2020, पत्रांक
1055 दिनांक 21.12.2020 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 593 दिनांक 23.06.2021 के
आलोक में शिक्षक नियोजन 2019 - 20 के क्रम में मेधा सूची के अनुमोदन के संबंध
में।

महाशय,

पटना, दिनांक 8/7/2021 /

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभागीय निदेश के आलोक में आपके
द्वारा समर्पित मेधा सूची (वर्ग 1 से 5) का अवलोकन किया गया। इसमें प्रथम दृष्टया जो त्रुटि इंगित
हुई है, वह निम्नवत् है-

क्र.सं.	त्रुटियों का विवरण	वर्ग 1 से 5	अभ्युक्ति
1	अभ्यर्थी के नाम में अंतर		
2	पिता के नाम में अंतर	00	
3	जेन्डर में अंतर	00	
4	जन्म तिथि में अंतर	00	
5	आरक्षण कोटि में अंतर	00	
6	शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंक/ प्रतिशत एवं अधिभार में अंतर	00	

वर्तमान में शिक्षक नियोजन की कार्रवाई संबंधित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्र की जाँच के
उपरान्त तैयार किये जाने वाले चयन सूची के आधार पर होनी है।

अतः इस मेधा सूची को अद्योहस्ताक्षरी स्तर से इस शर्त के साथ अनुमोदित किया जाता है
कि कॉउंसिलिंग के दौरान मूल प्रमाण-पत्र से मिलान के आधार पर तैयार किये जाने वाले चयन सूची
के आधार पर ही नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण की जाय।

विश्वासभाजन

(अमित कुमार)

जिला शिक्षा पदाधिकारी

पटना
05.07.2021

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना

पत्रांक 3888 /

प्रेषक:

अमित कुमार,
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पटना

सेवा में,

पंचायत सचिव-सह- सदस्य सचिव,
ग्राम पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, गंगहारा, दानापुर।

विषय:-

उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक 864 दिनांक 05.07.2019 एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार पटना के ज्ञापांक 975 दिनांक 19.11.2020, पत्रांक 1055 दिनांक 21.12.2020 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 593 दिनांक 23.06.2021 के आलोक में शिक्षक नियोजन 2019 - 20 के क्रम में मेधा सूची के अनुमोदन के संबंध में।

पटना, दिनांक 8/7/2021 /

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभागीय निदेश के आलोक में आपके द्वारा समर्पित मेधा सूची (वर्ग 1 से 5) का अवलोकन किया गया। इसमें प्रथम दृष्टया जो त्रुटि इंगित हुई है, वह निम्नवत् है-

क्र.सं.	त्रुटियों का विवरण	वर्ग 1 से 5	अभ्युक्ति
1	अभ्यर्थी के नाम में अंतर	00	
2	पिता के नाम में अंतर	00	
3	जेन्डर में अंतर	00	
4	जन्म तिथि में अंतर	00	
5	आरक्षण कोटि में अंतर	02	
6	शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंक / प्रतिशत एवं अधिभार में अंतर	01	

वर्तमान में शिक्षक नियोजन की कार्रवाई संबंधित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्र की जाँच के उपरान्त तैयार किये जाने वाले चयन सूची के आधार पर होनी है।

अतः इस मेधा सूची को अद्यहस्ताक्षरी स्तर से इस शर्त के साथ अनुमोदित किया जाता है कि कॉउंसिलिंग के दौरान मूल प्रमाण-पत्र से मिलान के आधार पर तैयार किये जाने वाले चयन सूची के आधार पर ही नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण की जाय।

विश्वासभाजन

(अमित कुमार)

जिला शिक्षा पदाधिकारी

05/07/2021